राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1256/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता, भरतपुर ....अपीलार्थी

बनाम

मै0 इलेक्ट्रोलक्स इण्डिया लि0,
विश्वकर्मा ओद्योगिक क्षेत्र, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 07/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, राज0, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 499/अतिआ(अपील्स)/55/01–02 में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 09.09.2001 को वाहन संख्या एच.आर.38डी–1380 धौलपुर भरतपुर मार्ग पर घाटोली पर चैक किया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से संबंधित दस्तावेज बिल, डिलीवरी चालान; इनवायस डिलीवरी आदि सशक्त अधिकारी के समक्ष पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र एस.टी.18ए नहीं होने के कारण, प्रत्यर्थी व्यवहारी को राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) उल्लंघन होने के कारण धारा 78(5) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जवाब पेश किया प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, सशक्त अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17.09.2001 द्वारा माल रेफ्रीजरेटर व पूर्जे कीमतन रू0 10,53,407/– पर 30 प्रतिशत से शास्ति राशि रू0 3,16,022/–आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.11.2007 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना जरिये अखबार प्रकाशन के अनुपस्थित रहा।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ सभी वांछित दस्तावेज मौजूद थे, डिलीवरी चालान में ST18A का नम्बर भी लिखा हुआ था परन्तु गलती से दस्तावेज साथ लगने से छूट गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कारण बताओं नोटिस के साथ घोषणा पत्र एस.टी.18–ए प्रस्तुत कर दिया था एवं अपने उत्तर के साथ प्रस्तुत नहीं करने का उचित कारण भी सशक्त अधिकारी को बतला दिया था। सक्षम अधिकारी को यदि किसी प्रकार का संशय, प्रस्तुत दस्तावेजों में था तो उनको चाहिये था कि वे प्रस्तुत दस्तावेजों की विस्तृत जांच करते एवं तत्पश्चात किसी विपरीत साक्ष्य के पाये जाने पर विधिसम्मत रूप से नियमानुसार कार्यवाही करते। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के दोषी मनोभाव को स्पष्ट नहीं किया गया हैं। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति विधिविरूद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित राज्य बनाम मै0 डी.पी.मैटल्स 124 एस.टी.सी. पेज 624 में यह प्रतिपादित किया गया है कि कारण बताओ नोटिस के उत्तर के साथ यदि घोषणा पर पेश कर दिया जाता है तो शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। अपीलीय अधिकारी ने इसी आधार पर व अन्य सभी दस्तावेज मौजूद होने के आधार पर, आरोपित शास्ति को अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है, जो उचित प्रतीत होती है।

6. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 28.11.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष